



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर/ नवा रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-844/ 1530

रायपुर, दिनांक 06/07/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 for Rehabilitation - Upgrading of Dharamjaigarh Kapu Road, area 10.465 ha.
संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1571 दिनांक 27.06.2022

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत एकबा 10.465 हे. वन भूमि में कापू से धरमजयगढ़ मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव का नोडल कार्यालय में परीक्षण उपरांत त्रुटियां पाई गई है जो निम्नानुसार है:-

1. प्रस्ताव में संलग्न वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संरक्षित वन - 1.15 हे, आरक्षित वन - 4.483 हे, एवं राजस्व वन 4.832 हे, कुल - 10.465 हे, अनुशंसा किया गया है परन्तु वनमंडलाधिकारी द्वारा आनलाईन आवेदन फार्म-ए पार्ट-1 में के.एम.एल फाईल, टोपोशीट, जियो रिफरेंसिंग मैप में उक्त क्षेत्रफल सुधार अनुसार अपलोड नहीं कराया गया है। वनमंडलाधिकारी आवेदक संस्थान को ई.डी.एस कर फार्म-ए पार्ट-1 में निरीक्षण प्रतिवेदन अनुशंसा अनुरूप समस्त अपलोड पी.डी.एफ फाईल (संशोधित प्रस्ताव से संबंधित समस्त डाक्यूमेंट) सुधार कर अपलोड करावें।
2. C.(ii) b(1): Upload .kml ds attribute में विवरण (जैसे RF / PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि जानकारी के साथ अपलोड करावें।
3. Form A Part - I में Coloum No. K Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No
उक्त कॉलम में वन अधिकार प्रमाण पत्र अपलोड करावें।
4. Form A Part - I के अतिरिक्त जानकारी में संशोधित सत्यापित डी.जी.पी.एस रिपोर्ट अपलोड करावें। प्रस्ताव में संशोधित डी.जी.पी.एस रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
5. Form A Part-II के कालम न. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with Part II, III & Part IV) में अपलोड भाग-3 में दिनांक अंकित नहीं है। दिनांक का उल्लेख कर अपलोड करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति हेतु ई.डी.एस किया जा रहा है।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 06/07/2022

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-844/ 1531

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़।
2. परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़